Business Standard NEW DELHI | MONDAY, 9 NOVEMBER 2020

आरईसी REC **REC Limited** (A Government of India Enterprise)
(Formerly Rural Electrification Corporation Limited)
CIN: L40101DL1969GOI005095

P-13

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND

Notice is hereby given in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has fixed **Tuesday, November 17, 2020** as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of Interim Dividend @ ₹ 6/- per equity share for the Financial Year 2020-21, as declared by the Board of Directors, in its Meeting held on Friday, November 6, 2020. Further, the said Interim Dividend will be paid / dispatched on Thursday, December 3, 2020 to those Shareholders whose names appear (a) as Beneficial Owners in the statement(s) to be furnished by the Depository(ies) as at the close of business hours on Tuesday, November 17, 2020 in respect of shares held in electronic form; and (b) as Members in Register of Members on Tuesday, November 17, 2020, in respect of physical shares.

Further, members are requested to register/update their e-mail IDs with Depository Participant(s)/Registrar & Transfer Agent (R&TA) and contact the R&TA i.e. M/s Kfin Technologies Private Limited, Unit : REC, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500032 Tel.: 91-40-67161500 or e-mail at **einward.ris@kfintech.com** / **balaji.reddy@kfintech.com** / **complianceofficer@recl.in** for claiming any unpaid/unclaimed dividend amount pertaining to financial year 2013-14 and thereafter. Further, investors are also advised to approach the IEPF Authority for claiming unpaid/unclaimed amounts, if any, relating to dividend declared by REC for financial year 2012-13 or before, which have already been transferred to IEPF.

For REC Limited
Sd/-
(J. S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: November 6, 2020

Note:
Pursuant to notification of Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit Form 15G/15H and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their Depository Participant(s) or with the Company/R&TA at the e-mail IDs mentioned above.

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel.: 91-11-24365161, Fax: 91-11-24360644
E-mail: complianceofficer@recl.in Website: www.recindia.nic.in

ई–मेल: complianceofficer@recl.in, वेबसाइट: www.recindia.nic.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 9 नवंबर 2020 सोमवार

आरईसी REC **आरईसी लिमिटेड** (भारत सरकार का उद्यम)
(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

अंतरिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने शुक्रवार, 06 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किया गया है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 6/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश की अदायगी के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों की पात्रता की गणना हेतु, **मंगलवार, 17 नवंबर, 2020** को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित्त किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अंतरिम लाभांश गुरुवार, 3 दिसंबर, 2020 को उन शेयरधारकों को भुगतान किए जाएंगे/भेजे जाएंगे जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयरों के संबंध में मंगलवार, 17 नवंबर, 2020 को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (रियों) द्वारा दिए जाने वाले विवरण में लाभार्थी स्वामियों के रूप में प्रदर्शित होंगे; तथा (ख) भौतिक शेयरों के संबंध में मंगलवार, 17 नवंबर, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी ई-मेल आईडी को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के पास पंजीकृत/अद्यतन करा दें और वित्त वर्ष 2013-14 और उसके उपरांत के वर्षों में भुगतान न की गई/ दावा न की गई किसी लाभांश राशि का दावा करने के लिए आर एंड टीए अर्थात मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: आरईसी, सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 टेलीफोन: 91-40-67161500 से संपर्क करें अथवा **einward.ris@kfintech.com** / **balaji.reddy@kfintech.com** / **complianceoffice@recl.in** पर ई-मेल कर दें। इसके अलावा, निवेशकों को सुझाव दिया जाता है कि वे वित्त वर्ष 2012-13 में या इससे पहले आरईसी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में भुगतान न की गई/दावा न की गई राशि, यदि कोई हो तो, का दावा करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण से संपर्क करें, क्योंकि यह आईईपीएफ को पहले ही अंतरित कर दी गई है।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/–
(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 6 नवंबर, 2020

टिप्पणी:
वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को मिलने वाली लाभांश आय आयकर के दायरे में होगी। तदनुसार, लाभांश का भुगतान करते समय, कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर ही कर की कटौती (टीडीएस) अपेक्षित होगी। टीडीएस संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे फॉर्म 15 जी / 15 एच जमा कर दें तथा अपना वर्तमान आवासीय पता, पैन संबंधी विवरण तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुरूप श्रेणी आदि को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास या कंपनी/आर एंड टीए के ऊपर उल्लिखित ई–मेल आईडी पर अद्यतन करा लें।

पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003,
फोन: 91-11-24365161, फैक्स: 91-11-24360644